राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शिम्भूदयाल बनाम ज्याना 538/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/04/2018 पारित करते हुए ग्राव कैमरिया स्थित प्रार्थीयां की खातेदारी एवं रहवास की भूमि खसरा नम्बर 43/0.90 व 44/2.13 हैक्टेयर में आने-जाने के लिए तहसीलदार कोटपुतली की रिपोर्ट के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 48 में से नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शाये अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 48 में पश्चिमी दिशा से 60 मीटर छोडकर 100 मीटर लम्बाई एवं 3.30 मीटर चौड़ाई का कुल 330 वर्गमीटर क्षेत्रफल का रास्ता वर्तमान में भूमि की प्रचलित डी.एल.सी की दर से दो गुणा कीमत पर उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी याचिका संख्या 790/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25/09/2017 की अनुपालना करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 48 में से अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायम किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुए उनके समक्ष उद्धरित तथ्यों का समुचित परिक्षण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त विधि के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकार को उसकी कृषि जोत को उन्नत बनाने हेतु रास्ता कायम किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/04/2018 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	